

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

## पत्रक भाग - दो

सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 2016 (माघ-26, 1937)

स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना तथा शून्यकाल की सूचनाओं को  
विधान सभा भवन में प्राप्त करने की व्यवस्था

### मार्च, 2016 सत्र

माननीय सदस्यों को पत्रक भाग दो क्रमांक 1, दिनांक 19 जनवरी, 2016 द्वारा पूर्व में यह सूचित किया गया है कि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना तथा नियम 267-क के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से कार्यालयीन दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक एवं बैठक वाले दिन प्रातः 8.00 बजे से श्री शिव कुमार राय, अपर सचिव, विधान सभा सचिवालय के कक्ष क्रमांक बी-15 में प्राप्त करेंगे और उनके अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह सूचनाएं प्रमुख सचिव प्राप्त करेंगे।

विधान सभा सत्र के प्रथम दिवस के लिये दी जाने वाली सूचनाएं प्राप्त करने हेतु माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये कक्ष क्रमांक बी-15 के समक्ष सूचना देने के लिए आने वाले माननीय सदस्यों तथा उनके द्वारा सूचना देने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के लिए क्रमानुसार कुर्सियां लगी रहेंगी। इस स्थान पर विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा कर्मी भी उपस्थित रहेंगे, जो उपरोक्तानुसार क्रम से आने वाले माननीय सदस्यों अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था देखेंगे। इस प्रकार प्रातः 8.00 बजे तक सूचना देने के लिए आने वाले माननीय सदस्यों को तथा उनके प्रतिनिधियों को क्रमानुसार टोकन उपलब्ध कराये जाएंगे और टोकन क्रमांक के आधार एवं क्रमानुसार माननीय सदस्यों को पूर्वाह्न 11.00 बजे सूचना देने हेतु उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम एवं उनके अधीन जारी अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमशः 138(1) एं 22(7-क) अनुसार "कोई सदस्य एक बैठक के लिए दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं दे सकेगा तथा कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिये स्थगन प्रस्ताव की एक से अधिक सूचनाएं नहीं देगा"। इस प्रकार संपूर्ण सत्रावधि में प्रत्येक माननीय सदस्य केवल "38 ध्यानाकर्षण सूचनाएं एवं 19 स्थगन प्रस्ताव" दे सकेंगे।

जो माननीय सदस्य प्रथम बैठक अथवा पश्चातवर्ती बैठकों के लिए एक से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव देना चाहेंगे, उन्हें ऐसी सूचनाओं में तिथिवार प्राथमिकता क्रम भी दर्शाना आवश्यक है।

जो माननीय सदस्य नियम 267-क के अधीन सदन की जानकारी में कोई विषय लाने के इच्छुक हों, वह उस विषय को उठाने का संक्षिप्त कारण बताते हुए उसकी पूर्व सूचना निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में दे सकेंगे और ऐसे विषय माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने एवं संबंधित सदस्य का नाम पुकारे जाने पर ही ऐसे समय एवं तारीख, जो माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, उठाये जा सकेंगे। नियम 267-क के अधीन विषयों को उठाने के लिए कुल 10 मिनट ही उपलब्ध रहेंगे, जिसमें समय क्रम के आधार पर प्राप्त सूचनाओं में से 5 सूचनाओं को ही एक बैठक में उठाय जा सकेगा।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा